

28/2/25

मा. सुनीर उपायुक्त मा. एस. न


हुसैन या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

मन्तर व लक्ष्मी  
उपर काम जो इस  
हुसैन भी सामील  
मे जारी हुए

प्रकरण सं.  
दिनांक

20/3/25

पत्रावली पेश हुई। ~~बाकी~~ बाकी आधी. उप-। बाकी आधी.  
जब आधी का पत्र जारी करी लं. 1 की मूल्या होने से  
उसके कारण मुकाम पेश करने हेतु जर्मना पत्र पेश  
करने का अवसर प्राप्त जर्मना पत्रावली वास्ते कापम  
मुकाम जर्मना पत्र हेतु दिनांक 20/3/25 को पेश  
हो।

  
20/3/25

पत्रावली  
जो 21 की मूल्या  
5 दिन के लिए  
मुकाम जर्मना  
पत्र पेश करने  
के अवसर प्राप्त  
हो।  
Rakesh


8/4/25

पत्रावली पेश हुयी समयक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली साक्षिक आदेश  
दिनांक 23/4/25 को पेश हो।

  
आदेश से रीडर

23/4/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार  
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया  
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय  
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश  
दिनांक 23/4/25 को पेश हो।

  
आदेश से रीडर

7/5/25


पत्रावली पेश हुई। बाकी आधी. अनु.। जारी करी लं.  
1 के कारण मुकाम पेश करने हेतु जर्मना पत्र पेश नहीं।  
न्यायाधीश में प्रार्थना अवसर दिनांक 7/5/25 को पत्रावली  
वास्ते कापम मुकाम जर्मना पत्र हेतु दिनांक 27/5/25  
को पेश हो।

  
7/5/25

7/5/25

पत्रावली पेश हुई। बाकी एवं बाकी आधी. अनु.। बाकी  
एवं बाकी आधी वकालत की नियमानुसार तीन बार आवार्जे  
लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। बाकी एवं  
बाकी आधी वकालत की न्यायाधीश में प्रार्थना एक बार आवार्जे  
लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। बाकी एवं  
बाकी आधी वकालत के उपस्थित नहीं आने से बाकी  
जबरा उफुत बाद अनर्गत द्वारा 88, 89, 90, 92 के

— लगातार —

  
सहायक जज  
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. २४/२०१२

मोहम्मद उन्नावान मोहम्मद हुसैन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मजदूर या साक्षी  
आपनाम जो इस  
हुकम की सादील  
ये जारी हुए.


दिनांक

२७/०५/२५

सबे १८८ शरणमान काबलकारी आलीनिपम  
को मदम हावरी) मदम फेटवी मै बारिष  
किया जाता है निर्णय सरे इतलास पुनासा  
जाता रिक्ती पर्जा जावी हो।

पत्रावली लाल सुमार

होकर दाखिल दफतर हो तथा नम्बर ले कम  
हो।

  
२७/०५/२५

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मोहम्मद पुत्र मूनीर नीलगर मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम


1. मोहम्मद हुसैन पुत्र अब्दुल नीलगर उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा  
2. मुबारिक हुसैन पुत्र अब्दुल नीलगर उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा  
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा  
4. तहसीलदार, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 28/2012 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री राकेश सुराणा अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 27.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा  
चभीलवाड़ा